राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4933/2022

प्रदीप सिंह राठौड़ (कर्मचारी आई.डी.–आरजेजेडब्ल्यू201322032844)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य प्रमुख शासन सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022
आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एलडीसी के पद पर जिला परिषद, झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकंपात्मक नियुक्ति थी। जिसके संबंध में नियुक्ति आदेश दिनांक 17.04.2013 को पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 24.04.2013 को पद ग्रहण करना चाहा, परंतु अपीलार्थी को पदग्रहण नहीं कराया गया, क्योंकि नियुक्ति आदेश में अपीलार्थी को ओबीसी दर्शाया गया था। जबकि अपीलार्थी सामान्य श्रेणी का था। बाद में संशोधन करने के पश्चात् नवीन आदेश दिनांक 23.07.2013 को जारी किया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने बाद में 24.07.2013 को कार्यग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग ने बाद में अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 10.06.2022 को जारी किये, जिसमें अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.04.2013 मानते हुए उसे क्रम संख्या 14 में रखा था। बाद में संशोधित सूची जारी की गई। सूची दिनांक 22.09.2022 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी की नियुक्ति तिथि दिनांक 24.07.2013 मानते हुए उसे क्रम

सं. 200 पर रखा गया, जो गलत है, क्योंकि बाद में जोइनिंग प्रत्यर्थीगण की गलती के कारण हुई थी। उनका तर्क है कि इसी प्रकार के प्रकरण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण रिट याचिका संया 7283/2014 मनोज खंडेलवाल बनाम राज्य एवं प्रकरण सुमन बाई व अन्य बनाम राज्य 2009 (1)WLC राजस्थान 341 में याचिकागण को लाभ दिया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)